आदेश की क्रम सं0 एवं तारीख		आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में
	उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी का न्यायालय, गिरिडीह। (Email id-dccourt.grd@gmail.com) **अधिहरण वाद सं0–08/2016** **(नगर थाना काण्ड सं0–97/2016 दिनांक 26.04.2016)** **राज्य सरकार–बनाम–गयासुद्दीन वगैरह**	
	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	
04.10.24	अभिलेख आदेशार्थ उपस्थापित। यह वाद पुलिस अधीक्षक,गिरिडीह के पत्रांक 3499 दिनांक 25.06.2016 के द्वारा नगर थाना काण्ड सं0 97/2016 दिनांक 26.04.2016 के तहत जप्त किए गये ट्रक 409 नं0 JH-10U-9835 एवं उस पर लदे मवेशी का अंग (हड्डी, चमड़ा) के विरूद्ध राज्यसात की अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। वाद को सुनवाई हेतु स्वीकृति प्रदान करते हुए वाद की कार्यवाही प्रारंभ की गई तथा विभिन्न तिथियों में सुनवाई की गई। **<u>वाद की संक्षिप्त विवरणी</u>** दिनांक–26.04.2016 को वादी श्री कुन्दन सिंह, पिता श्री उमाशंकर सिंह,–अलकापुरी, थाना–गिरिडीह नगर, जिला–गिरिडीह के द्वारा लिखित आवेदन के आधार पर प्राथमिकी के नामजद चार अभियुक्त के विरूद्ध ट्रक 409 वाहन निबंधन सं0 JH-10U-9835 पर पशु की हड्डी एवं चमड़ा अवैध रूप से लोड कर ले जाने के क्रम में चालक गयासुद्दीन, पिता–समसुद्दीन, साकिन–दुर्गापुर, थाना–मधुपुर एवं चालक के साथ बैठे एक अन्य व्यक्ति इब्राहिम अंसारी, पिता–सिद्धिकी सालीन, साकिन+थाना–मधुपुर दोनो जिला–देवघर को रंगे हाथ गाड़ी सहित पकड़ा गया। ग्रामीणों के द्वारा अभियुक्तों से पुछताछ के क्रम में उनके द्वारा बताया गया कि यह गौवंश का हड्डी मासुम अंसारी, साकिन–कुरैशी मुहल्ला, थाना– नगर, जिला– गिरिडीह के यहाँ से लोड कर फुलजोरी (पहाड़ीडीह), थाना–मधुपुर, जिला–देवघर ले जा रहे है और गाड़ी पर लोड हड्डी एवं चमड़ा का चालान दिखलाया। वादी द्वारा प्रस्तुत चालान देखने पर गलत एंव जाली जैसा लगा। ग्रामीणों द्वारा अभियुक्तों से पूछने पर अभियुक्तों ने बताया कि हमलोग बराबर यह धंधा करते है। तब ग्रामीणों द्वारा थाना को सूचित किया गया और पकड़े गये दोनों अभियुक्तों का पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया एवं वादी के लिखित आवेदन के आधार पर थाना में काण्ड दर्ज	

किया गया है।

वाद में सुनवाई हेतु निर्धारित कई तिथियों को नोटिस के उपरांत Opposite Parties द्वारा दिनांक 17.01.2020 को वकालतनामा दायर किया गया परन्तु इसके उपरांत Opposite Parties लगातार सुनवाई की हर तिथि पर अनुपस्थित रहें तथा Opposite Party No. 1 के द्वारा अपने पक्ष में कोई दस्तावेज/कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही कोई तर्क न्यायालय के समक्ष रखा गया, केवल दिनांक 07.07.2023 को वाद के दायित्व से मुक्त करने हेतु एक कारण पृच्छा Opposite Party No. 2 and No. 3 के द्वारा दायर किया गया जिसके साथ में कोई साक्ष्य अथवा दस्तावेज सलंग्न नहीं किया गया।

उक्त तथ्य यह दर्शाता है कि Opposite Parties को इस वाद की कार्यवाही में कोई रूची नहीं है।

विवेचना एवं निर्णय

1. माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड के वाद **Cr. Revision No. 60 of 2020** में यह उल्लेख किया गया है कि :–

"Before going into the legality and propriety of the impugned order, it is pertinent to the point that neither under Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960 (for short '**the Act of 1960**') nor under Jharkhand Bovine Animal (Prohibition of Slaughter) Act, 2005 (for short '**the Act of 2005**'), there is any provision for confiscation of the vehicle used in transportation of cattle or beef in contravention of the provisions of the Act, as provided under some Acts, e.g., Section 6 of Essential Commodities Act, 1955; Section 52 of the Forest Act; Section 60 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985, there is provision of confiscation of the articles or vehicle used for the transportation in contravention of the provisions of this Act.

2. सहायक लोक अभियोजक द्वारा भी यह तर्क दिया गया कि Jharkhand Bovine Animal (Prohibition of Slaughter) Act, 2005 के तहत परिवहन में उपयोग में लाए गए वाहन को राज्यसात करने का कोई प्रावधान नहीं है।

आदेश

उपरोक्त विवेचना एवं निर्णय के आलोक में पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह के पत्रांक 3499 दिनांक 25.06.2016 के द्वारा नगर थाना काण्ड सं0 97/2016 दिनांक

26.04.2016 के तहत जप्त किए गये ट्रक 409 नं0 JH-10U-9835 एवं उस पर लदे मवेशी का अंग (हड्डी, चमड़ा) के विरूद्ध राज्यसात की अनुशंसा को खारिज कर इस वाद की कार्यवाही को Drop (समाप्त) किया जाता है।

आदेश की प्रति सभी संबंधितों को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

विधि–व्यवस्था एवं अन्य प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त रहने के कारण आज आदेश पारित किया जाता है।

लेखापित एंव संशोधित।

04/10/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

04/10/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

ज्ञापांक 743 /न्या0 दिनांक 04/10/2024

प्रतिलिपिः– पुलिस अधीक्षक, गिरिडीह को उनके पत्रांक 3499/अप०शा०, दिनांक 25.06.2016 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

04/10/24

उपायुक्त–सह–जिला दण्डाधिकारी
गिरिडीह।

Digitally signed by NAMAN PRIYESH LAKRA
Date: 2024.10.05 18:08:47 +05:30
Location: 192.168.0.123